Q 1. Aristotle. अरस्तू।

A अरस्तू (Aristotle) – 4 Marks (Hindi Answer)

अरस्तू प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे, जिन्हें *पाश्चात्य दर्शन का जनक* भी कहा जाता है। वे प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर महान (**Alexander**) के गुरु थे। न्यायशास्त्र, राजनीति, नैतिकता, तर्कशास्त्र, जीवविज्ञान, और साहित्य सहित कई क्षेत्रों में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु

1. अरस्तू ने **न्याय** को "**समता और अनुपात पर आधारित व्यवस्था**" बताया।
2. उन्होंने **विधिक न्याय (Legal Justice)** और **वितरणात्मक न्याय (Distributive Justice)** का सिद्धांत दिया।
3. वे कहते हैं कि न्याय का उद्देश्य **सार्वजनिक कल्याण (Common Good)** है।
4. तर्कशास्त्र में **साइलोज़िम (Syllogism)** का सिद्धांत उनकी महान देन है।

यह संक्षिप्त एवं परीक्षोपयोगी उत्तर 4 नंबर के लिए पर्याप्त है।

Q 2 Ground norm. मूलमानक

मूल मानक (Grundnorm) का सिद्धांत **हांस केल्सन (Hans Kelsen)** ने अपनी *शुद्ध विधि सिद्धांत (Pure Theory of Law)* में प्रस्तुत किया था। **परिभाषा**:

मूल मानक वह **आधारभूत, सर्वोच्च, प्रारम्भिक नियम** होता है, जिससे पूरे विधि-व्यवस्था (Legal System) को वैधता मिलती है। इसका कोई और उच्चतर नियम नहीं होता—यही सभी कानूनों का अंतिम स्रोत होता है।

मुख्य बिंदु (4 Marks हेतु):

1. **Grundnorm** एक *काल्पनिक या मान्य किया हुआ मूल नियम* है, जो पूरे कानून तंत्र को वैधता प्रदान करता है।
2. यह स्वयं किसी और नियम से नहीं निकलता, बल्कि **मान लिया जाता है (Presupposed)** है।
3. संविधान को भी वैधता **मूल मानक** से प्राप्त होती है।
4. केल्सन के अनुसार, कानून की एक **सीढ़ी जैसी संरचना (Hierarchy)** होती है, जिसके शीर्ष पर **Grundnorm** स्थित है।

सार:

मूल मानक वह मूलभूत नियम है जो पूरे विधिक ढांचे को वैध बनाने के लिए आवश्यक माना जाता है, और कानून का अंतिम आधार है।

Q 3 Interest. हित

हित सिद्धांत (Interest Theory) का संबंध विशेषकर **रुडोल्फ वॉन आइहरिंग (Rudolf von Ihering)** से है। उन्होंने कहा कि **कानून का उद्देश्य व्यक्तियों और समाज के हितों की रक्षा करना है।**

परिभाषा:

कानून में **हित** से आशय उन **सुविधाओं, लाभों या आवश्यकताओं** से है, जिन्हें कानून संरक्षित करता है ताकि व्यक्ति और समाज दोनों सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से चल सकें।

मुख्य बिंदु

1. **हित** वह लाभ या सुविधा है, जिसकी रक्षा करना कानून का उद्देश्य है।
2. Ihering के अनुसार, "**कानून संगठित सामाजिक हितों की सुरक्षा है।**"

3. हित व्यक्तिगत भी हो सकता है जैसे - जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति।

4. हित सामाजिक भी हो सकता है जैसे - सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, सुरक्षा।

संक्षेप: हित वह मूल्य या लाभ है जिसे सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाया और लागू किया जाता है।

Q 4 Salmond. सामन्ड।

जॉन विलियम सैमंड (J.W. Salmond) एक प्रसिद्ध **न्यायशास्त्री (Jurist)** थे, जिनका विशेष योगदान **कानून की प्रकृति, स्रोतों और अधिकारों** की व्याख्या में माना जाता है। वे ***positivist jurisprudence*** के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं।

मुख्य बिंदु (4 marks हेतु):

1. **Salmond** ने कानून को **"राज्य द्वारा मान्य नियमों का समूह"** कहा।
2. उन्होंने **Rights (अधिकार)** और **Duties (कर्तव्य)** के संबंध को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया।
3. **Salmond** के अनुसार, कानून का उद्देश्य **न्याय की स्थापना** और **सामाजिक व्यवस्था** को बनाए रखना है।
4. उनकी प्रसिद्ध पुस्तक **"Jurisprudence"** न्यायशास्त्र की एक आधारभूत पुस्तक मानी जाती है।

संक्षेप: सैमंड एक ऐसे न्यायशास्त्री थे जिन्होंने कानून की परिभाषा, स्रोतों और अधिकारों की प्रकृति को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया, और उनका योगदान आज भी विधि के छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Q 5 Social solidarity. सामाजिक समेकता।

सामाजिक समेकता का सिद्धांत फ्रांसीसी समाजशास्त्री **एमिल दुर्खाइम (Emile Durkheim)** ने दिया। इसका अर्थ समाज में **एकता, सहयोग, परस्पर निर्भरता और सामूहिक चेतना** से है, जो लोगों को जोड़कर रखती है।

मुख्य बिंदु

1. **परिभाषा:**
   सामाजिक समेकता वह स्थिति है जिसमें समाज के सदस्य **साझा मूल्यों, विश्वासों और लक्ष्यों** के कारण एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं।
2. दुर्खाइम ने सामाजिक समेकता को दो भागों में बाँटा:
   - **यांत्रिक समेकता (Mechanical Solidarity):** परंपरागत समाजों में समानता पर आधारित एकता।
   - **कार्बनिक समेकता (Organic Solidarity):** आधुनिक समाजों में **परस्पर निर्भरता** पर आधारित एकता।
3. सामाजिक समेकता समाज में **स्थिरता, व्यवस्था और सहयोग** स्थापित करती है।
4. कानून का उद्देश्य भी लोगों के बीच **सामंजस्य बनाए रखना** और सामाजिक एकता को मजबूत करना है।

संक्षेप:

सामाजिक समेकता वह शक्ति है जो समाज के व्यक्तियों को जोड़कर रखती है, और सामाजिक जीवन को स्थिर, सामंजस्यपूर्ण और संगठित बनाती है।

Q 6 What do you mean by volkeglist theory of law given by Savigny?

सैविग्नी द्वारा प्रतिपादित अन्तर्चेतना के सिद्धान्त से आप क्या समझते है।

- **Introduction / परिचय**

Friedrich Carl von Savigny जर्मन ऐतिहासिक विधि-शास्त्र (Historical School of Law) के सबसे प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। वे मानते थे कि कानून किसी व्यक्ति, राजा या विधि-निर्माता की देन नहीं, बल्कि **समाज की सामूहिक चेतना (Volksgeist)** की स्वाभाविक वृद्धि है।

1. Meaning of Volksgeist / अन्तर्चेतना का अर्थ

Volksgeist का अर्थ है –

"The Spirit of the People" / "जन-मानस की सामूहिक चेतना"

अर्थात वह **सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक और ऐतिहासिक मूल्यों का समूह**, जो किसी समाज को विशिष्ट बनाता है।

2. Main Idea of the Theory / सिद्धांत का मुख्य विचार

Savigny कहते हैं कि–

"Law is not made but it grows."

"कानून बनाया नहीं जाता, यह विकसित होता है।"

कानून धीरे-धीरे समाज की परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक चेतना से उत्पन्न होता है।

****3. Key Features of Volksgeist Theory**

अन्तर्चेतना सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएँ**

****(1) Law evolves from customs**

कानून का मूल स्रोत 'रूढ़ियाँ' हैं**

Savigny के अनुसार, समाज में प्रचलित रीति-रिवाज (Customs) ही कानून के वास्तविक स्रोत हैं।

****(2) Law reflects social character**

कानून समाज के चरित्र को दर्शाता है**

हर समाज का एक विशिष्ट सांस्कृतिक चरित्र होता है–

उसी के अनुसार कानून भी विकसित होता है।

****(3) Codification must follow maturity**

कानून का संहिताकरण तभी होना चाहिए जब समाज परिपक्व हो**

Savigny ने समय से पहले कानून के संहिताकरण का विरोध किया और कहा कि ऐसा करने से कानून "कृत्रिम" बन जाता है।

****(4) Law grows organically with society**

कानून समाज के साथ प्राकृतिक रूप से बढ़ता है**

यह किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं थोपा जा सकता।

****4. Criticism of the Theory**

सिद्धांत की आलोचना**

1. यह रीति-रिवाजों को अत्यधिक महत्व देता है।
2. आधुनिक समाज में कानून अक्सर विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है, केवल विकास नहीं होता।
3. "Volksgeist" एक अस्पष्ट और अमूर्त अवधारणा है।

5. Conclusion / निष्कर्ष

Savigny का अन्तर्चेतना सिद्धांत यह बताता है कि–

- कानून समाज की **जीवन शैली** और **ऐतिहासिक परंपराओं** से उत्पन्न होता है।
- कानून की जड़ें समाज की **सामूहिक चेतना** में निहित होती हैं।
- इसलिए किसी भी देश का कानून उसके **लोक-चेतना**, **संस्कृति**, और **इतिहास** पर आधारित होना चाहिए।

यह सिद्धांत आज भी आधुनिक कानूनी इतिहास और समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

Q 7 Write a note on American realism. अमेरिकी यथार्थवाद पर टिप्पणी लिखिये।

◆ **Introduction / परिचय American Realism (अमेरिकी यथार्थवाद) 20**वीं सदी का एक प्रभावशाली विधि-सिद्धांत है जिसका मुख्य विचार था कि **कानून वही है जो अदालतों में न्यायाधीश अपने निर्णयों में वास्तव में करते हैं।** यह *सोशियोलॉजिकल स्कूल* और *लीगल पॉज़िटिविज़्म* से विकसित होकर उभरा।

इस आंदोलन ने कहा कि—

"Law in books is different from law in action." "किताबों का कानून और अदालतों में लागू कानून अलग-अलग होते हैं।"

****1. Meaning and Nature** अर्थ और प्रकृति** अमेरिकी यथार्थवाद का केंद्रीय विचार यह है कि—

- कानून एक **निश्चित लिखित नियम** नहीं है
- बल्कि न्यायाधीशों के **व्यवहार, अनुभव, मनोविज्ञान और व्यावहारिक निर्णय** का परिणाम है

इसलिए कानून को समझना हो तो **न्यायाधीश कैसे सोचते हैं,** यह समझना आवश्यक है।

****2. Main Features of American Realism** अमेरिकी यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताएँ**

****(1) Law is what courts do in practice** कानून वह है जो अदालतें वास्तव में करती हैं**

यथार्थवादी कहते हैं कि पुस्तकें केवल "प्रतीकात्मक कानून" देती हैं, असली कानून न्यायालय के व्यवहार में मिलता है।

****(2) Rejection of formal logic**

औपचारिक तर्कवाद का विरोध** यह सिद्धांत मानता है कि निर्णय केवल नियम लागू करने से नहीं बनते। न्यायाधीश निर्णय करते समय **अनुभव, नीति, नैतिकता, मनोविज्ञान** आदि से प्रभावित होते हैं।

****(3) Judge-made Law**

न्यायाधीश-निर्मित कानून पर जोर** वे कहते हैं कि न्यायाधीश कानून बनाने की प्रक्रिया का **मुख्य हिस्सा** हैं।

****(4) Fact-centered approach** तथ्यों पर आधारित विधिशास्त्र**

यथार्थवादी मानते हैं कि किसी केस का परिणाम अधिकांशतः **तथ्यों की प्रस्तुति और न्यायाधीश की समझ** पर निर्भर करता है।

****(5) Predictive theory of law** कानून का पूर्वानुमान सिद्धांत**

Justice Holmes का प्रसिद्ध कथन— **"The prophecies of what courts will do are what I mean by law."**

यानी कानून वह है जिसे हम न्यायालय के भविष्य के निर्णयों से *अनुमान* लगा सकें।

****3. Important Thinkers** प्रमुख विचारक**

1. **Oliver Wendell Holmes Jr.**
    - अमेरिकी यथार्थवाद के जनक
    - प्रेडिक्शन थ्योरी
2. **Karl Llewellyn**
    - कानून को *व्यावहारिक अनुभव* माना
3. **Jerome Frank**
    - न्यायाधीशों के *मनोवैज्ञानिक प्रभावों* पर जोर

****4. Criticism** आलोचना**

1. यह सिद्धांत न्यायाधीशों को अत्यधिक स्वतंत्रता देता है।
2. कानूनी निश्चितता (**Legal Certainty**) कम हो जाती है।
3. यह नियमों की भूमिका को कमजोर करता है।
4. कानून का स्वरूप अनिश्चित और अस्थिर प्रतीत होता है।

****5. Conclusion** निष्कर्ष**

अमेरिकी यथार्थवाद ने यह स्पष्ट किया कि—

- कानून केवल लिखित नियम नहीं, बल्कि **अदालतों का व्यवहार** है
- न्यायाधीश कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण शक्ति रखते हैं

- वास्तविक कानून को समझने के लिए **वास्तविक निर्णयों का विश्लेषण** आवश्यक है

यह विधिशास्त्र आज भी न्यायिक निर्णय-प्रणाली को व्यावहारिक और यथार्थवादी समझने में अत्यंत उपयोगी माना जाता है।

Q 8 Discuss the importance of natural law. प्राकृतिक विधि विचार धारा के महत्व की विवेचना कीजिये।

◆ **परिचय**

प्राकृतिक विधि (Natural Law) एक प्राचीन एवं सर्वमान्य विधि दर्शन है, जो यह मानता है कि—
कानून मनुष्य की प्रकृति, नैतिकता, न्याय और तर्क पर आधारित होता है, न कि केवल राज्य की इच्छा पर।

प्राकृतिक विधि की धारा का केंद्र बिंदु यह विचार है कि **"अन्यायपूर्ण कानून, कानून नहीं है।"**
इस धारा ने विश्व की विधिक व्यवस्था, मानवाधिकारों, न्यायिक निर्णयों और संविधानवाद पर गहरा प्रभाव डाला।

1. नैतिकता और न्याय का आधार प्रदान करना

प्राकृतिक विधि ने कानून में **नैतिक मूल्यों** और **न्याय** की अनिवार्यता को स्थापित किया। यह सिद्धांत कहता है कि हर कानून को प्राकृतिक न्याय के अनुरूप होना चाहिए। इससे विधि-निर्माण अधिक मानवीय और निष्पक्ष बनता है।

2. मानवाधिकारों की उत्पत्ति में योगदान

आधुनिक **मानवाधिकार (Human Rights)** की जड़ें प्राकृतिक विधि में ही निहित हैं। जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा जैसे अधिकार प्राकृतिक विधि के सिद्धांत से ही विकसित हुए। इसी ने आगे चलकर *अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन* और आधुनिक *संविधानवाद* को जन्म दिया।

3. अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करने का आधार प्राकृतिक विधि यह कहकर नैतिक शक्ति प्रदान करती है कि—
अन्यायपूर्ण कानून का पालन करना बाध्यकारी नहीं है। इसी सिद्धांत पर दासता (slavery), रंगभेद (apartheid) और तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष हुए।

4. न्यायाधीशों के लिए मार्गदर्शन

जब लिखित कानून अस्पष्ट हो या मौन हो, तब न्यायालय प्राकृतिक न्याय, समानता और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित निर्णय देते हैं।
इस प्रकार यह न्यायालयों के लिए **नैतिक कंपास** का कार्य करता है।

5. विधि-निर्माण को मानवीय बनाना

Natural Law राज्य को यह स्मरण दिलाता है कि कानून केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि **मनुष्य की गरिमा और हितों की रक्षा का साधन** है। इससे समाज में न्याय, सहयोग और नैतिक व्यवस्था बनी रहती है।

6. सार्वभौमिक एवं श्रेष्ठ मानक

प्राकृतिक विधि को **सार्वभौमिक (universal)** माना गया है— यह समय, स्थान, संस्कृति सभी से परे है।
इससे कानून का एक **उच्चतर मानक** स्थापित होता है, जिसकी तुलना में सकारात्मक (positivist) कानून को परखा जा सकता है।

7. सामाजिक एवं विधिक सुधारों को प्रेरणा- इसी सिद्धांत के आधार पर अनेक सुधार हुए—

- महिला अधिकार
- सामाजिक समानता
- दासता का अंत
- धार्मिक स्वतंत्रता
- संवैधानिक शासन

प्राकृतिक विधि ने समाज को **नैतिक विकास** की दिशा में आगे बढ़ाया।

8. आधुनिक संविधानवाद और Rule of Law पर प्रभाव

आज के संविधान, न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), मूल अधिकार (Fundamental Rights) तथा *Rule of Law* सभी प्राकृतिक विधि से प्रभावित हैं। इसीने यह विचार दिया कि **राज्य भी कानून से ऊपर नहीं है।**

निष्कर्ष

प्राकृतिक विधि विचारधारा ने विधि के विकास को **नैतिक, मानवीय और न्यायपूर्ण दिशा** प्रदान की। इसने यह सुनिश्चित किया कि कानून केवल राज्य की शक्ति का उपकरण न बनकर, **मानवता, तर्क, समानता और न्याय के मूल्यों** का संरक्षक बने। इसी कारण प्राकृतिक विधि को विधिशास्त्र में अत्यंत मौलिक और स्थायी महत्व प्राप्त है।

Q 9. How would you define jurisprudence? Is it synthesis of essential principles of law
विधिशास्त्र को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? क्या यह विधि के मूलभूत का सम्मिश्रण है?

◆ **प्रस्तावना**

विधिशास्त्र (**Jurisprudence**) विधि (**Law**) का दार्शनिक, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन है। यह कानून की प्रकृति, उद्देश्य, आधार, कार्यक्षेत्र और विधि-व्यवस्था के सिद्धांतों का गहन विश्लेषण करता है।

इसे प्रायः **कानून का विज्ञान (Science of Law)** और **कानून का दर्शन (Philosophy of Law)** कहा जाता है।

विधिशास्त्र केवल नियमों का अध्ययन नहीं, बल्कि उन नियमों के पीछे छिपे **मूलभूत सिद्धांतों, विचारों और तर्कों का व्यवस्थित चिंतन** है।

1. विधिशास्त्र की परिभाषाएँ

विधिशास्त्र को विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग रूप में परिभाषित किया है—

(1) सैलमंड (Salmond)

"विधिशास्त्र वह विज्ञान है जो कानून के *मूलभूत सिद्धांतों* और *कानूनी तर्क* का अध्ययन करता है।"

(2) ऑस्टिन (Austin)

"विधिशास्त्र सकारात्मक कानून का दर्शन है।" उनके अनुसार विधिशास्त्र राज्य द्वारा दिए गए आदेशों का अध्ययन है।

(3) केल्सन (Kelsen)

उनके अनुसार विधिशास्त्र केवल *शुद्ध क़ानून विज्ञान* है, जिसमें नैतिकता या समाजशास्त्र का स्थान नहीं।

(4) केइटन (Keeton)

"विधिशास्त्र न्यायाधीशों के निर्णयों में प्रयुक्त कानूनी अवधारणाओं का चिंतन है।"

(5) एलन (Allen)

"विधिशास्त्र कानून के तकनीकी और दार्शनिक पक्ष को समझने का माध्यम है।" इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विधिशास्त्र, कानून के *स्वरूप, तत्वों, उद्देश्य और सिद्धांतों* की खोज करता है।

---

2. विधिशास्त्र का स्वरूप (Nature of Jurisprudence)

1. **दार्शनिक स्वरूप** – यह न्याय, नैतिकता, अधिकार, कर्तव्य आदि का अध्ययन करता है।
2. **वैज्ञानिक स्वरूप** – कानून के सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है।
3. **वर्णनात्मक स्वरूप** – यह बताता है कि कानून *क्या है* **(What Law is)**।
4. **आदेशात्मक स्वरूप** – राज्य के आदेश और दंड की प्रकृति को समझाता है।
5. **सामाजिक स्वरूप** – कानून का समाज से संबंध बताता है।

इसलिए विधिशास्त्र बहुआयामी **(multi-dimensional)** है।

3. क्या विधिशास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का सम्मिश्रण है?

(Is jurisprudence a synthesis of essential principles of law?)

हाँ, विधिशास्त्र मूलभूत सिद्धांतों का ही व्यापक सम्मिश्रण है।

इसका कारण निम्न हैं—

(A) विधि की अवधारणाओं का विश्लेषण

विधिशास्त्र निम्न मूलभूत अवधारणाओं का समन्वित अध्ययन करता है—

- अधिकार **(Rights)**
- कर्तव्य **(Duties)**
- अपराध **(Crime)**
- दायित्व **(Liability)**
- संप्रभुता **(Sovereignty)**
- न्याय **(Justice)**
- दंड **(Punishment)**

इन सबका सम्मिश्रण विधिशास्त्र को व्यापक बनाता है।

(B) विभिन्न विधि-सिद्धांतों का समन्वय

विधिशास्त्र कई विचारधाराओं के समन्वित अध्ययन से निर्मित है—

1. **प्राकृतिक विधि (Natural Law)** – नैतिकता एवं न्याय
2. **सकारात्मक विधि (Positivism)** – राज्य की शक्ति
3. **ऐतिहासिक विधि (Historical School)** – रीति-रिवाज
4. **समाजशास्त्रीय विधि (Sociological School)** – समाजिक हित
5. **यथार्थवाद (Realism)** – न्यायालय का व्यवहार

विधिशास्त्र इनमें से किसी एक का अध्ययन नहीं, बल्कि सभी विचारधाराओं को मिलाकर व्यापक दृष्टिकोण निर्मित करता है। इसीलिए इसे **"सिद्धांतों का सम्मिश्रण"** कहा जाता है।

(C) विधि के उद्देश्य का अध्ययन

विधिशास्त्र यह जानने का प्रयास करता है कि कानून क्यों है**?**

कानून का उद्देश्य क्या है**?**

- सामाजिक व्यवस्था
- न्याय
- स्वतंत्रता
- समानता
- सुरक्षा
- शांति

इन सभी उद्देश्यों का व्यापक विश्लेषण विधिशास्त्र को "मूलभूत सिद्धांतों का समूह" बना देता है।

(D) विधि-व्यवस्था के विकास का समेकित अध्ययन

यह देखता है कि कानून—

- कैसे उत्पन्न हुआ,
- कैसे बदला,
- कैसे समाज की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए।

4. विधिशास्त्र का महत्व (Importance)

1. **विधि छात्रों के लिए बुनियादी आधार**

2. **न्यायाधीशों और विधि-निर्माताओं को दिशा**
3. **कानूनी अवधारणाओं की वैज्ञानिक समझ**
4. **विधि-प्रणाली में सुधार का आधार**
5. **सामाजिक एवं नैतिक संतुलन**
6. **कानून के उद्देश्यों की स्पष्टता**

5. आलोचना (Criticism)

1. अत्यधिक दार्शनिक, व्यवहार से दूर।
2. स्पष्ट परिभाषा का अभाव।
3. विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं में विरोधाभास।
4. व्यावहारिक कानून की तुलना में अधिक अमूर्त।

फिर भी इसका महत्व कम नहीं होता।

निष्कर्ष (Conclusion)

विधिशास्त्र कानून का *आधार*, *आत्मा* और *वैज्ञानिक दर्शन* है।

यह कानून की परिभाषा, स्वरूप, सिद्धांत और उद्देश्य का ऐसा सम्मिश्रण है जो विधि को एक **सुसंगत, तार्किक और न्यायपूर्ण व्यवस्था** बनाता है।

इसलिए यह कहना पूर्णतया उचित है कि—

"विधिशास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक और दार्शनिक सम्मिश्रण है।"

Q 10. Austin resolved every law into a command of the soverign given, an obligation imposed theory on the citizen and a sanction there attended in the event of disobedience. Do you agree with this view? Comment.

ऑस्टिन प्रत्येक विधि को विधिदाता का समादेश नागरिकों पर प्रतिबंधित आभार तथा एकअनुशास्ति जो अवज्ञा के समय सतंर्जिल की जा सके, विघटित करतेहैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं? टिप्पणी कीजिये।

भूमिका

विधिशास्त्र में जॉन ऑस्टिन (**John Austin**) का ***Command Theory*** एक अत्यंत प्रभावशाली सिद्धान्त माना जाता है। उन्होंने कानून को एक नैतिक या दार्शनिक धारणा नहीं, बल्कि *राज्य द्वारा प्रदत्त बाध्यकारी आदेश* के रूप में देखा। उनके अनुसार, कानून *सार्वभौमिक सत्ता का आदेश* है, जिसके पालन न करने पर *दण्ड* (**Sanction**) का प्रावधान होता है।

यह सिद्धान्त **Analytical School** का आधारस्तम्भ है।

ऑस्टिन के समादेश सिद्धान्त के मुख्य तत्व ऑस्टिन ने प्रत्येक कानून को तीन भागों में विभाजित किया—

1. Sovereign का Command (समादेश)

कानून वह है जो—

- **सार्वभौमिक सत्ता (Sovereign)** द्वारा दिया गया आदेश हो।
- **Sovereign** को किसी भी उच्चतर सत्ता का भय न हो।

2. Obligation on Citizens (नागरिकों पर बाध्यता)

समादेश का उद्देश्य लोगों पर नियमों का पालन कराने की बाध्यता उत्पन्न करना है।

नागरिकों को इसे मानना ही पड़ता है, अन्यथा वे अवैध माने जाते हैं।

3. Sanction in case of Disobedience (अवज्ञा पर दण्ड)

कानून तभी प्रभावी माना जाएगा, जब उसके उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान हो।

यही दण्ड नागरिकों में पालन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है।

इन तीन तत्वों के आधार पर ऑस्टिन ने निष्कर्ष दिया—

"Law is the command of the sovereign backed by sanction."

क्या यह दृष्टिकोण सही है?—समालोचना

ऑस्टिन के सिद्धान्त पर अनेक विद्वानों ने गंभीर आपत्तियाँ की हैं। इसमें कुछ प्रमुख आलोचनाएँ इस प्रकार हैं—

---

(1) आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य पर लागू नहीं

आज के संविधानिक लोकतंत्रों में—

- कानून जनता द्वारा चुनी गयी संसद के माध्यम से बनते हैं,
- सत्ता विभाजित है—विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।

इसलिए 'एकमात्र सार्वभौमिक सत्ता' की अवधारणा अव्यावहारिक है।

---

(2) कानून केवल दण्ड और भय पर आधारित नहीं कई कानून—

- संवैधानिक अधिकार,
- संपत्ति अधिकार,
- विवाह, गोद लेना, अनुबंध दण्ड पर आधारित नहीं होते। वे सामाजिक-नैतिक दायित्वों पर आधारित होते हैं।

---

(3) न्यायालय-निर्मित कानून (Judge-made law) का उल्लेख नहीं

न्यायाधीशों द्वारा निर्णयों में विकसित ***precedents*** कानून का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऑस्टिन के सिद्धान्त में यह स्थान नहीं पाता।

---

(4) अंतरराष्ट्रीय विधि पर सिद्धान्त लागू नहीं International Law में कोई ***sovereign authority*** नहीं है।

फिर भी राष्ट्र इसे मानते हैं। इसलिए "कानून = समादेश + दण्ड" का सूत्र उपयुक्त नहीं।

---

(5) नैतिकता और कानून का संबंध नकारात्मक रूप से दिखाना

कई विधि-विदों—सैल्मंड, फुलर, डिसे, हार्ट—का मत है कि कानून का नैतिकता से घनिष्ठ संबंध है। ऑस्टिन इसे पूर्णतः अस्वीकार करते हैं, जो अव्यावहारिक है।

---

(6) संवैधानिक सर्वोच्चता की अनदेखी

आधुनिक राज्यों में—

- संविधान सर्वोच्च है — न कि शासक। परंतु ऑस्टिन का सिद्धान्त शासक को सर्वोच्च मानता है।

ऑस्टिन के सिद्धान्त की उपयोगिता कई आलोचनाओं के बावजूद इसका महत्व बना हुआ है—

✓ कानून के स्वरूप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया

✓ विधिक विश्लेषण को नैतिकता से अलग कर वैज्ञानिक बनाया

✓ दण्ड और बाध्यता के आधार पर "नियम" की अवधारणा को दृढ़ किया

✓ आधुनिक पॉज़िटिविस्ट विचारधारा के लिए आधार प्रदान किया

निष्कर्ष

ऑस्टिन का ***Command Theory*** विधिशास्त्र के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने कानून को वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक रूप में समझने की दिशा दी।

परन्तु आज के जटिल, लोकतांत्रिक, संवैधानिक राज्यों में यह सिद्धान्त अपने शुद्ध रूप में लागू नहीं हो पाता।

इसलिए यह कहा जा सकता है कि— ऑस्टिन का सिद्धान्त कानून के स्वरूप की एक सीमित, परन्तु महत्वपूर्ण व्याख्या है; किन्तु इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Q 11. Discuss Kelson's pure theory of law. What are the main points of criticism of this theory? कैलसन के शुद्ध विधि के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये। उन मुख्य बिन्दुओं को स्पष्ट कीजिये। जिनके आधार पर इस सिद्धान्त की आलोचना करते हैं?

भूमिका

हांस कैल्सन (**Hans Kelsen) 20**वीं सदी के सबसे प्रमुख विधिवेत्ताओं में से एक हैं, जिन्होंने **"Pure Theory of Law" (**शुद्ध विधि सिद्धान्त) प्रतिपादित किया।

कैल्सन का उद्देश्य था कि विधिशास्त्र को—

- राजनीति,
- नैतिकता,
- समाजशास्त्र,
- मनोविज्ञान

से पूरी तरह अलग कर **एक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और विशुद्ध विधि-विज्ञान** के रूप में स्थापित किया जाए।

उन्होंने कहा कि— **"कानून को केवल कानून के रूप में ही समझा जाना चाहिए।"**

कैल्सन के शुद्ध विधि सिद्धान्त के प्रमुख तत्व

1. विधि का शुद्ध रूप (Purity of Law)

कैल्सन ने जोर दिया कि—

- विधि का अध्ययन पूरी तरह 'मानक नियमों' **(Norms)** पर आधारित होना चाहिए।
- इसमें नैतिक, सामाजिक या राजनीतिक विचारों का कोई स्थान नहीं।

इसलिए इसे "**Pure Theory**" कहा गया।

2. Grundnorm / मूल मानक

कैल्सन के सिद्धान्त का सबसे प्रसिद्ध तत्व है **Grundnorm** (मूलमानक)।

इसका अर्थ— एक ऐसी *मूलभूत व सर्वोच्च मानक धारणा*, जिस पर पूरे विधिक ढांचे की वैधता आधारित होती है। भारत के संदर्भ में: **संविधान = Grundnorm**

---

3. Norm का Pyramid (मानकों का श्रेणीक्रम) कैल्सन ने कानून को *एक पिरामिड के रूप में समझाया—*

- शीर्ष पर **Grundnorm**
- उसके नीचे **संविधान**
- नीचे **विधायिका द्वारा बनाए गए कानून**
- फिर **नियम-विनियम**
- सबसे नीचे **व्यक्तिगत आदेश (Individual decisions)** जैसे न्यायालय के आदेश, प्रशासनिक आदेश आदि। हर निचला नियम अपनी वैधता ऊपर वाले नियम से प्राप्त करता है।

---

4. Law is a Norm, not a Command कैल्सन ने ऑस्टिन के समादेश सिद्धान्त को अस्वीकार कर कहा—

- कानून शासक का आदेश नहीं,
- बल्कि "नियमों का एक प्रणालीबद्ध ढांचा" है।

---

5. Sanction as a Legal Consequence वे कहते हैं—

- दण्ड कानून का उद्देश्य नहीं,
- बल्कि **नियम का तार्किक परिणाम (logical consequence)** है।

---

6. Static & Dynamic Theory of Law कैल्सन ने कानून की दो विशेषताएँ बतायीं— **Static theory** कानून को 'नियमों' की स्थिर प्रणाली के रूप में देखना।

Dynamic theory

कानून ऐसे नियमों का ढांचा है जो समय के साथ "निर्मित और लागू" **(creation & application)** होते हैं, जैसे—संसद कानून बनाती है, अदालत लागू करती है।

---

7. राज्य और कानून एक ही हैं कैल्सन के अनुसार—

State = Legal Order राज्य एक राजनीतिक संस्था नहीं, बल्कि नियमों का एक सुव्यवस्थित ढांचा है।

कैल्सन के सिद्धान्त की आलोचना (Main Criticisms) अब इसकी प्रमुख आलोचनाएँ निम्न प्रकार हैं—

---

1. Grundnorm एक काल्पनिक अवधारणा कई विद्वानों—हार्ट, सैल्मंड, डायसी—ने कहा कि—

- **Grundnorm** ***abstract, imaginary*** है।
- इसकी कोई वास्तविक, व्यावहारिक पहचान नहीं। यह कानून की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं।

---

2. नैतिकता और न्याय को नकार देना अव्यावहारिक कैल्सन कानून को नैतिकता से पूरी तरह अलग देखना चाहते थे। परन्तु—

- नैतिक मूल्य
- न्याय
- सामाजिक मांग

  कानून के विकास में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। इसलिए इसे **अधिक यांत्रिक और संकीर्ण** माना गया।

---

3. राजनीति और समाजशास्त्र की अनदेखी कैल्सन ने कानून को एक *स्वतंत्र विज्ञान* माना और राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था को अप्रासंगिक बताया।

किंतु व्यावहारिक जीवन में—

- कानून राजनीति से प्रेरित होता है,
- सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार बनता और बदलता है। इसलिए यह दृष्टिकोण अधूरा है।

---

4. न्यायालय-निर्मित कानून की भूमिका को कम आँकना कैल्सन ने न्यायाधीशों को केवल 'नियम लागू करने वाले' के रूप में देखा। परन्तु आधुनिक न्यायपालिका—

- कानून का निर्माण **(law making)**

- व्याख्या **(interpretation)** में भी महत्वपूर्ण जाती है।

---

5. राज्य और कानून को एक मानना गलत कैल्सन का **"State = Law"** विचार अत्यंत सीमित है।

राज्य का अस्तित्व राजनीति, प्रशासन, समाज से भी निर्धारित होता है— केवल विधिक मानकों से नहीं।

---

6. बहुत अधिक तकनीकी एवं जटिल सिद्धान्त

कैल्सन ने कानून को वैज्ञानिक बनाने के चक्कर में सिद्धान्त को अत्यंत तकनीकी, दुरूह और अमूर्त बना दिया, जिससे यह आम लोगों व छात्रों के लिए कठिन हो गया।

निष्कर्ष

कैल्सन का शुद्ध विधि सिद्धान्त विधिशास्त्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर आया। इसने कानून को एक **तार्किक, संरचनात्मक और विशुद्ध विधिक प्रणाली** के रूप में समझने की विधि विकसित की। परंतु इसकी सीमाएँ—

- **Grundnorm** की काल्पनिकता,
- नैतिकता की अनदेखी,
- राजनीतिक-सामाजिक पहलुओं का बहिष्कार इसे व्यावहारिक जीवन में अधूरा बनाती हैं।

फिर भी, कैल्सन का सिद्धान्त आधुनिक विधिशास्त्र के अध्ययन का आधार है और कानून की संरचना को समझने में अत्यधिक उपयोगी है।

Q 12."This aim of social engineering is to build an efficient structure of society as possible, which involves the balancing of competing interests." Discuss this statement of Pound. "सामाजिक अभियन्त्रकी का उद्देश्य जितना भी सम्भव हो सके एक समाज के सशक्त ढाँचे की रचना करना है जिसका मुख्य कार्य परस्पर विरोधी हितों कासामञ्जस्य स्थापित करना है।" पाउन्ड के इस कथन की विवेचना कीजिये।

पाउंड के सामाजिक अभियंत्रिकी सिद्धांत की विवेचना

(Roscoe Pound – Social Engineering Theory –

भूमिका

अमेरिकी विधिवेत्ता **रोस्को पाउंड (Roscoe Pound)** आधुनिक समाजशास्त्रीय विधि-चिंतन **(Sociological Jurisprudence)** के प्रमुख प्रतिपादक थे।

उन्होंने कानून को "सामाजिक नियंत्रण का साधन" बताया और कहा कि कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में **व्यवस्था, संतुलन और न्याय** स्थापित करना है।

उनका प्रसिद्ध सिद्धांत **"Social Engineering"** कहलाता है। पाउंड का मानना है कि—

कानून का उद्देश्य एक ऐसा सामाजिक ढाँचा बनाना है जिसमें विभिन्न हितों के बीच संतुलन स्थापित कर अधिकतम सामाजिक उपयोगिता प्राप्त की जा सके।

सामाजिक अभियंत्रिकी (Social Engineering) का अर्थ

पाउंड ने कानून को *इंजीनियरिंग की प्रक्रिया* की तरह माना—

जिस प्रकार एक इंजीनियर विभिन्न तत्वों को सुव्यवस्थित कर एक सुरक्षित, मजबूत संरचना बनाता है, उसी प्रकार—

कानून समाज के विभिन्न हितों (interests) का समन्वय कर एक संतुलित एवं शक्तिशाली सामाजिक ढाँचा बनाता है। इस सिद्धांत का लक्ष्य है—

- समाज में शांति
- व्यवस्था
- न्यूनतम संघर्ष
- अधिकतम संतुलन
- अधिकतम कल्याण

हितों का वर्गीकरण (Classification of Interests) पाउंड ने सामाजिक संतुलन हेतु हितों को तीन प्रमुख वर्गों में बाँटा—

---

1. व्यक्तिगत हित (Individual Interests) यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और अधिकारों से संबंधित हित हैं—

जैसे—

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- संपत्ति का अधिकार
- शारीरिक सुरक्षा
- गोपनीयता

- व्यवसाय की स्वतंत्रता

---

2. सामाजिक हित (Social Interests) ये संपूर्ण समाज की व्यवस्था एवं सुरक्षा के हित हैं— जैसे—

- शांति और सुरक्षा
- नैतिक मूल्य
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
- सामाजिक व्यवस्था
- न्याय का सुचारु प्रशासन

---

3. राज्य हित (Public or State Interests) ये वे हित हैं जिनका उद्देश्य *राज्य की स्थिरता और शक्ति* बनाए रखना है। जैसे—

- कराधान प्रणाली
- प्रशासनिक व्यवस्था
- राष्ट्रीय सुरक्षा

हितों के संघर्ष का समन्वय – सामाजिक अभियंत्रिकी का मुख्य उद्देश्य समाज में हमेशा विभिन्न हित आपस में टकराते रहते हैं— उदाहरण:

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम समाज की सुरक्षा
- संपत्ति का अधिकार बनाम सार्वजनिक कल्याण
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय हित

पाउंड का मत स्पष्ट है कि— **"कानून का कार्य इन विरोधी हितों के बीच उचित संतुलन (Balancing) स्थापित करना है।"**

कैसे संतुलन स्थापित किया जाता है?

1. प्राथमिकता निर्धारण (**Priority setting)**
2. न्यायिक व्याख्या (**Judicial interpretation)**
3. सामाजिक उपयोगिता पर विचार (**Social utility principle)**
4. विधि निर्माण (**Legislation)**
5. न्यायालयों द्वारा हितों का तौलना (**Weighing of interests)**

पाउंड के अनुसार कानून के मुख्य उद्देश्य

1. अधिकतम सामाजिक उपयोगिता (Maximum Social Advantage) कानून का लक्ष्य है अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचना।

2. सामाजिक नियंत्रण (Social Control) कानून लोगों के आचरण को नियंत्रित कर समाज को स्थिर बनाता है।

3. संघर्षों का समाधान (Conflict Minimization) कानून व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं के बीच संघर्ष को कम कर सामंजस्य बढ़ाता है।

4. न्याय का प्रशासन (Administration of Justice) कानून न्याय की स्थापना के माध्यम से समाज में विश्वास बनाए रखता है।

पाउंड के सिद्धांत का व्यावहारिक उदाहरण भारत में सामाजिक अभियंत्रिकी के उदाहरण—

- दहेज निषेध अधिनियम
- आरक्षण नीति
- घरेलू हिंसा अधिनियम
- पर्यावरण सुरक्षा कानून
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
- सूचना का अधिकार
- किशोर न्याय कानून

ये सभी कानून "हितों के संतुलन" पर आधारित हैं— व्यक्तिगत, सामाजिक और राज्य हितों को समायोजित करते हैं।

पाउंड के सिद्धांत की आलोचना

1. **अत्यधिक सामाजिक आदर्शवाद -** इसे कानून की वास्तविक कार्यप्रणाली से अधिक एक आदर्शवादी दृष्टिकोण कहा गया।
2. **हितों का संतुलन हमेशा संभव नहीं -**कई हित इतने विरोधी होते हैं कि संतुलन व्यावहारिक नहीं (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता)।
3. **कानून को समाजशास्त्र पर अधिक निर्भर बनाना -** कुछ विद्वानों के अनुसार, इससे विधि विज्ञान की "स्वतंत्रता" कम होती है।

4. **हितों की पहचान कठिन -** कौन सा हित अधिक महत्वपूर्ण है—यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता।

निष्कर्ष- पाउंड ने कानून की भूमिका को एक नए दृष्टिकोण से समझाया।

उनके अनुसार—

- कानून केवल नियमों का समूह नहीं,
- बल्कि **समाज के विकास और संतुलन का उपकरण** है।

सामाजिक अभियंत्रिकी का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि—

समाज विभिन्न हितों का समुच्चय है, और कानून का उद्देश्य इन हितों के बीच उचित संतुलन बना कर अधिकतम सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है।

इस प्रकार पाउंड का यह सिद्धांत आधुनिक विधि-निर्माण और न्यायिक कार्यप्रणाली दोनों में अत्यंत प्रभावी एवं प्रासंगिक है।

Q 13. What were the factors and circumstances which led to economic approach to law? वह कौन से कारक एवं परिस्थितियां थी जिन्होंने विधि की आर्थिक पद्धति को अग्रसर किया।

विधि के आर्थिक दृष्टिकोण को जन्म देने वाले कारक एवं परिस्थितियाँ

भूमिका

विधि की आर्थिक पद्धति (Economic Approach to Law) 20वीं शताब्दी में एक प्रभावशाली विधिशास्त्रीय आंदोलन के रूप में उभरी। इस दृष्टिकोण का मुख्य प्रतिपादक **रिचर्ड पॉज़नर (Richard Posner)** है, जिसने कहा कि—

"क़ानून को समझने का सर्वाधिक वैज्ञानिक तरीका उसे आर्थिक सिद्धांतों के माध्यम से देखना है।"

अर्थशास्त्र और कानून के समन्वय का उद्देश्य था—

- लागत व लाभ का विश्लेषण
- संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग
- सामाजिक दक्षता (efficiency)
- न्यायिक निर्णयों में तार्किकता

यह सिद्धांत अचानक नहीं आया, बल्कि अनेक **ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों** ने इसका मार्ग प्रशस्त किया।

---

1. औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) औद्योगिक क्रांति ने—

- विशाल उत्पादन
- बड़े उद्योग
- श्रमिक वर्ग
- पूँजीपतियों के हित
- अनुबंध, कंपनियाँ, दायित्व
- उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धा

—जैसी नई समस्याएँ उत्पन्न कर दीं। पारंपरिक विधि सिद्धांत इन आर्थिक जटिलताओं को समझाने में असफल रहे। इससे आवश्यकता महसूस हुई कि **कानून को आर्थिक दृष्टि से देखा जाए**।

---

2. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास (Rise of Capitalism) पूँजीवाद के विकास ने—

- निजी संपत्ति,
- मुक्त बाजार,
- अनुबंध स्वतंत्रता
- श्रम बाज़ार
- उपभोक्ता संरक्षण
- व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा

जैसे मुद्दों को केंद्र में ला दिया। इन परिस्थितियों में केवल नैतिक या प्राकृतिक न्याय पर आधारित सिद्धांत अपर्याप्त थे। इसलिए विधि को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता हुई।

---

3. राज्य के आर्थिक कार्यों का विस्तार (Expansion of State Functions) उन्नीसवीं व बीसवीं सदी में राज्य—

- कल्याणकारी राज्य (Welfare State)

- नियंत्रक, नियामक (Regulatory State)
- आर्थिक योजनाकार (Planning State)

के रूप में उभरा। जब कानून का मुख्य उद्देश्य **सामाजिक व आर्थिक कल्याण** हो गया, तब कानून के अध्ययन में भी आर्थिक विश्लेषण अनिवार्य हो गया।

---

4. शास्त्रीय विधिक सिद्धांतों की असफलता (Failure of Classical Jurisprudence)

- विश्लेषणात्मक सिद्धांत (Austin)
- प्राकृतिक विधि
- ऐतिहासिक विधि

—समाज की नई आर्थिक समस्याओं का समाधान देने में असफल रहे। उन्हें

- बेरोज़गारी,
- श्रमिक शोषण,
- पूँजी का केंद्रीकरण,
- प्रतिस्पर्धा नियंत्रण

—जैसी आर्थिक समस्याओं की न समझ थी न समाधान। इससे आर्थिक दृष्टिकोण आगे आया।

---

5. महान मंदी (Great Depression, 1930s) अमेरिका और यूरोप की आर्थिक व्यवस्था ढह गई। कानून और अर्थव्यवस्था गहराई से जुड़े हैं—यह स्पष्ट हो गया। सरकार को—

- बैंकिंग कानून,
- श्रम कानून,
- सामाजिक सुरक्षा कानून

—जैसे अनेक आर्थिक उपाय लागू करने पड़े। इसने कानून को आर्थिक विश्लेषण के बिना समझ पाना असंभव कर दिया।

---

6. अर्थशास्त्र में 'Marginal Utility' और 'Cost-Benefit Analysis' का विकास अर्थशास्त्र में विकसित नई अवधारणाएँ—

- अवसर लागत (opportunity cost)
- संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग
- लागत-लाभ विश्लेषण
- सीमांत उपयोगिता (marginal utility)

कानूनी समस्याओं पर भी लागू होने लगीं। न्यायालय भी निर्णय लेते समय "कार्यान्वयन लागत" (implementation cost) और "सामाजिक लाभ" देखते हैं।

---

7. 'Legal Realism' का उदय - अमेरिकी यथार्थवादियों (Holmes, Llewellyn) ने कहा कि— **"कानून को व्यवहार में कैसे काम करता है, वही महत्वपूर्ण है।"** व्यवहार में कानून का प्रभाव आर्थिक होता है, इसलिए कानून का आर्थिक विश्लेषण आवश्यक हो गया।

---

8. संसाधनों की कमी और उनका न्यायपूर्ण वितरण (Scarcity & Allocation of Resources) कानून का उद्देश्य सीमित संसाधनों का **दक्षतापूर्वक वितरण (efficient allocation)** करना है। उदाहरण:

- भूमि अधिग्रहण
- कराधान
- पर्यावरण कानून
- प्रतिस्पर्धा कानून
- उपभोक्ता कानून

प्रत्येक में आर्थिक अवधारणाएँ सीधे काम आती हैं।

---

9. कल्याणकारी राज्य की नीतियों की ज़रूरत (Need for Welfare Policies) जब राज्य ने—

- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- रोजगार

- सामाजिक सुरक्षा

—में योगदान देना शुरू किया, तब कानून को **आर्थिक न्याय** (**economic justice)** स्थापित करने का माध्यम माना गया।

---

10. उपभोक्तावाद और बाजार की जटिलता बाजार में—

- विज्ञापन
- उपभोक्ता संरक्षण
- अनुचित व्यापार व्यवहार
- प्रतिस्पर्धा कानून

इन सबने आर्थिक दृष्टिकोण को अपरिहार्य बना दिया।

---

11. न्यायालयों की बदलती भूमिका - आधुनिक न्यायालय—

- पर्यावरण
- कराधान
- औद्योगिक विवाद
- व्यापार विनियमन

में आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। इससे कानून की आर्थिक व्याख्या आगे बढ़ी।

---

12. पोज़नर का योगदान (**Posner's Contribution)** रिचर्ड पॉज़नर ने कहा—

"कानून का लक्ष्य आर्थिक दक्षता को अधिकतम करना है।" उन्होंने न्यायिक निर्णयों को "economic rationality" के आधार पर समझाया।

निष्कर्ष - विधि की आर्थिक पद्धति किसी एक कारण से नहीं, बल्कि—

- औद्योगिक क्रांति,
- पूँजीवाद,
- सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ,
- राज्य के कार्यों का विस्तार,
- कल्याणकारी नीतियाँ,
- आर्थिक सिद्धांतों की उन्नति,
- न्यायालयों के नए रुझान

जैसी कई परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव से विकसित हुई। आज कानून और अर्थव्यवस्था अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और आर्थिक दृष्टिकोण विधि के अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है।